संख्या- 815 /9-8-10-54ज/2007

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 14 मई, 2010

विषयः **नगर निगम, मेरठ द्वारा पी.पी.पी.** माडल के **आधार पर ग्राम घोसीपुर** तहसील-सदर, **जनपद-मेरठ में आधुनिक पशुवधशाला** का **निर्माण किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-92/पी0ए0- न0आ0/10 दिनांक 23 मार्च, 2010 तथा उसके साथ संलग्न महापौर, नगर निगम मेरठ के पत्र संख्या-68/आ0लि0-महापौर/2010 दिनांक 20-03-2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से नगर निगम बोर्ड की दिनांक 20 मार्च, 2010 को आहूत की गयी बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भेजते हुए अवगत कराया गया है कि मेरठ, नगर निगम बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 20.03.2010 की बैठक में पी0पी0पी0 माडल के अनुसार पशुबधशाला के आधुनिकीकरण तथा कन्सेशन एग्रीमेन्ट के प्रारूप को बहुमत के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम बोर्ड, मेरठ द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2010 की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय पर बिड इवैल्यूएशन कमेटी (बी.ई.सी.) की बैठक दिनांक 01 अप्रैल, 2010 में बोर्ड के उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने के लिये गये निर्णय पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं नगर निगम अधिनियम 1959 में उपरोक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण एवं संचालन कराया जाना नगर निगम का बाध्यकारी दायित्व है। अतः नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-537 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम मेरठ की बोर्ड की बैठक दिनांक 20 मार्च, 2010 की कार्यवाही के अंश "मा. सदन द्वारा पी0पी0पी0 माडल के अनुसार पशुबधशाला के आधुनिकीकरण तथा कन्सेशन एग्रीमेन्ट के प्रारूप को बहुमत के आधार पर अस्वीकार किया गया" को प्रतिषेधित किया जाय तथा ग्राम घोसीपुर तहसील सदर जनपद-मेरठ में आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कार्य कराया जाय।

3- उपरोक्त क्रम में शासन द्वारा सक्षम स्तर से ग्राम घोसीपुर, तहसील सदर जनपद मेरठ में 5.260 हेक्टेयर अधिग्रहीत भूमि पर पी.पी.पी. माडल के आधार पर आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण के प्रस्ताव तथा इस कार्य हेतु बिड इवैल्यूएशन कमेटी द्वारा चयनित कन्सल्टेन्ट, मे0एबेकस लीगल ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा तैयार कराये गये आर.एफ.क्यू. पर सहमति प्रदान कर दी गयी है।

2/-

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए प्रगति से शासन को समय-समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- महापौर, नगर निगम, मेरठ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में।
7- जिलाधिकारी, मेरठ।
8- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अवस्थापना विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन को उनके संदर्भ सख्या-51यू.ओ./83 अव.वि.अ./2010 दिनांक 10 मई, 2010 के संदर्भ में।
10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव।